फा.सं.ए-12026/22/2021-आ.सु.से.- डीओआर
F.No.A-12026/22/2021-ES Cell-DOR
भारत सरकार/Government of India
वित्त मंत्रालय/Ministry of Finance
राजस्व विभाग/Department of Revenue

*****

कक्ष संख्या 14108 ,कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली

दिनांक: 19 अगस्त, 2026

Room No. 14108, Kartavya Bhawan - I, New Delhi

Dated: 19th August, 2026

<u>रिक्ति परिपत्र</u>

विषय:- वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) में अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के संबंध में।

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (₹1,23,100–2,15,900) में अपर निदेशक अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (₹78,800–2,09,200) में संयुक्त निदेशक के रिक्त पदों को भरने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 नवंबर 2004 के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य धन-शोधन तथा इससे संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के संग्रहण और साझाकरण में समन्वय स्थापित करना तथा उसे सुदृढ़ बनाना है। एफआईयू-आईएनडी संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने तथा उसका प्रसार करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है। यह धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं से निर्धारित सूचना प्राप्त करती है तथा उपयुक्त मामलों में इस सूचना का प्रसार संबंधित प्रवर्तन/आसूचना एजेंसियों और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को करती है।

3. भर्ती नियमों के अनुसार, अपर निदेशक के पद पर आवेदन करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारी पात्र हैं:

अखिल भारतीय सेवाओं अथवा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी:

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा संगठन में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी;

अथवा

(ii) वे अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (₹78,800–2,09,200) अथवा समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा पूरी की हो; तथा

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री;

(ii) संबंधित क्षेत्रों में, अर्थात् प्रशासन या वित्तीय और आर्थिक प्रशासन या विधि या कंपनी विधि या आर्थिक कानून, जैसे धन-शोधन या पूंजी बाजार, या लेखा-परीक्षा या कानूनों का प्रवर्तन या अन्वेषण और अभियोजन या कर प्रशासन या विनियामक तंत्र या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव।

4. भर्ती नियमों के अनुसार, संयुक्त निदेशक के पद पर आवेदन करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारी पात्र हैं:

अखिल भारतीय सेवाओं अथवा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी:

(क)(i) मूल संवर्ग अथवा संगठन में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी;

अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (₹67,700–2,08,700) अथवा समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा पूरी की हो; तथा

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री;

(ii) संबंधित क्षेत्रों में दस वर्ष का अनुभव, अर्थात् प्रशासन या वित्तीय और आर्थिक प्रशासन या विधि या कंपनी विधि या आर्थिक कानून, जैसे धन-शोधन या पूंजी बाजार, या लेखा-परीक्षा या कानूनों का प्रवर्तन या अन्वेषण और अभियोजन या कर प्रशासन या विनियामक तंत्र या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुभव।

टिप्पणी:अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक में से किसी एक पद को भरने में लचीलापन रहेगा, जो आवेदकों की पात्रता पर निर्भर करेगा। अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक के मामले में प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारण किए गए किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः क्रमशः पाँच वर्ष/चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-Estt. (वेतन-II), दिनांक 17 जून 2010 तथा समय-समय पर उसमें किए गए संशोधनों/पुनरीक्षणों के अनुसार विनियमित होंगी।

6. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों से अनुरोध है कि पात्र और इच्छुक अधिकारियों के आवेदन,संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर अवर सचिव (ईएस सेल),राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय,कमरा संख्या 14108, चौथी मंजिल, 'सी' विंग,कर्तव्य भवन–I, नई दिल्ली–110001 के पते पर भेज दिए जाएं। ।यह विज्ञापन विभाग की वेबसाइट http://dor.gov.in/vacancies. पर भी देखा जा सकता है।

7. आवेदन अग्रेषित करते समय **संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी यह सत्यापित और सुनिश्चित करेंगे कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विवरण सही हैं तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है और न ही प्रस्तावित है।** संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक ऊपर उल्लिखित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।एक बार संवर्ग स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने के बाद यह माना जाएगा कि पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूरी की गई हैं और प्रस्तुत विवरण सही हैं।आवेदनों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजना भी आवश्यक है:

(i) बायोडाटा, जिसमें अधिकारी का संपर्क नंबर और ई-मेल पता शामिल हो।

(ii) पिछले उपलब्ध पाँच वर्षों की पूर्ण और अद्यतन एसीआर/एपीएआर डोजियर तथा उसकी प्रमाणित प्रति।

(iii) सतर्कता प्रमाण-पत्र/सतर्कता स्वीकृति ।

(iv) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र/सत्यनिष्ठा स्वीकृति ।

(v) संवर्ग स्वीकृति ।

(vi) पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाए गए प्रमुख/लघु दंडों, यदि कोई हों, का विवरण।

8. अपूर्ण आवेदन अथवा उचित माध्यम से प्राप्त न होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को बाद में किसी भी आधार पर अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं **होगी।यह एक खुला रिक्ति परिपत्र है। प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक प्राप्त पूर्ण आवेदनों पर उपलब्ध रिक्तियों के लिए आगामी माह में चयन हेतु विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया सभी रिक्तियों के भरे जाने तक जारी रहेगी।**

9. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच-सूची भी भेजी जा सकती है। (प्रारूप संलग्न है।)

प्रशांत सागर 19/8/26

(प्रशांत सागर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 2401-2620

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रति:

1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

2. अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड — अनुरोध है कि इस रिक्ति परिपत्र को अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के ई-प्रतिनियुक्ति पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए।

3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पॉकेट-9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 तथा एफआईयू-आईएनडी — अनुरोध है कि उपर्युक्त रिक्ति परिपत्र को अपने-अपने वेबसाइटों पर प्रदर्शित/अपलोड किया जाए।

4. सदस्य (वित्त), डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन, दूरसंचार विभाग।

प्रशांत सागर
19/8/26

(प्रशांत सागर)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रपत्र

वित्तीय खुफिया इकाई-भारत में अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक के पद के लिए आवेदन- प्रतिनियुक्ति के आधार पर

पासपोर्ट आकार की तस्वीर

1.	नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	पद जिसके लिए आवेदन किया गया है	
3.	जन्म तिथि	
4.	सेवानिवृत्ति की तारीख	
5.	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार आयु	
6.	शैक्षिक योग्यता	
7.	क्या वर्तमान ग्रेड एम.ए.सी.पी. के माध्यम से दिया गया है या नियमित पदोन्नति के माध्यम से?	
8.	सेवा में प्रवेश की तिथि (सेवा और बैच सहित)	
9.	क) वर्तमान पद (क्या नियमित, तदर्थ या प्रतिनियुक्ति के आधार पर है)	
	ख) यदि वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो कृपया मूल कार्यालय/संवर्ग में पद का पदनाम और उस पद के वेतनमान के साथ उस ग्रेड में वर्तमान मूल वेतन का उल्लेख करें	

<table>
<tr><td>10.</td><td colspan="2">वर्तमान पे बैंड और ग्रेड वेतन (मूल वेतन का भी उल्लेख करें)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">नियमित आधार पर वर्तमान स्केल प्राप्त करने की तिथि</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">आवेदक का मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और आधिकारिक लैंड लाइन नंबर</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">13.</td><td colspan="5">सेवा का विवरण :</td></tr>
<tr><td>पद और पदस्थापन का स्थान</td><td>ग्रेड वेतन के साथ वेतनमान</td><td>अवधि</td><td>क्या पद नियमित आधार पर धारित किया गया है या तदर्थआधार पर</td><td>किए गए कर्तव्यों की प्रकृति</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td colspan="2">पिछले पाँच वर्षों में आपके द्वारा किए गए अच्छे/उत्कृष्ट कार्य का विवरण; यदि कोई हो तो:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>15.</td><td colspan="2">पिछले 5 वर्षों में प्राप्त प्रशंसा/पुरस्कारों का विवरण; यदि कोई हो:</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

16.	ए.पी.ए.आर. ग्रेडिंग (अनिवार्य रूप से संलग्न प्रपत्र के अनुसार)	
17.	संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी का नाम और पद	
18.	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय में संबंधित अधिकारी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर	
19.	आवेदक को यह बताना होगा कि पात्रता मानदंड जैसे संबंधित वेतनमान में सेवा के वर्षों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, संबंधित क्षेत्र में अनुभव, आवेदन की अंतिम तिथि आयु और अवधि कैसे पूरी होती है।	

घोषणा:-

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लिया है और मैं ऐतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि प्रस्तुत विवरण मेरी जानकारी, विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य और सही हैं।

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित (नियोक्ता मुहर सहित)

एपीएआर ग्रेडिंग के लिए प्रोफार्मा

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	सेवा	बैच	एपीएआर की अवधि	रिपोर्टिंग अधिकारी			समीक्षा अधिकारी			सत्यनिष्ठा	टिप्पणी
					रिपोर्टिंग अधिकारी का ग्रेडिंग	रिपोर्टिंग अधिकारी की टिप्पणियाँ	कलम चित्र	समीक्षा अधिकारी का श्रेणीकरण/समग्र श्रेणीकरण	क्या ग्रेडिंग बदल गई है (हाँ/नहीं)? यदि हाँ, तो टिप्पणी।	कलम चित्र		

निम्नलिखित बिंदुओं को संकलित किया जाना है:-

(क) यदि पिछले पाँच वर्षों के लिए कोई ए.पी.ए.आर. नहीं है (एन.आर.सी./एन.आई.सी. के मद्देनज़र), तो पिछले पाँच उपलब्ध वर्षों के लिए ए.पी.ए.आर. दिया जाना जाना चाहिए।

(ख) आवेदन के साथ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित ए.पी.ए.आर. की प्रतियां भी भेजी जानी चाहिए।

(ग) ए.पी.ए.आर. अवधि कॉलम में उल्लेखित करने के लिए, डी.डी.-एम.एम.-वाई.वाई.टी.टी.टी. से डी.डी.-एम.एम.-वाई.वाई.टी.टी.टी. प्रारूप में ए.पी.ए.आर. की सटीक तिथि/अवधि।

(घ) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ए.पी.ए.आर. अवधि में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए और यदि कोई अंतराल है, तो टिप्पणी कॉलम में इसके कारण बताए जाने चाहिए।

(भाग-ख)

केवल कैडर नियंत्रण प्राधिकरण/विभाग के उपयोग के लिए।

1.	आवेदन की अंतिम तिथि पर अधिकारी पात्रता की आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं।	हाँ/नहीं
2.(क)(i)	अधिकारी के खिलाफ कोई सतर्कता मामला लंबित है या विचाराधीन है।	हाँ/नहीं
(ii)	यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें।	
(ख)(i)	क्या पिछले दस वर्षों के दौरान प्रस्तावित अधिकारी पर कोई बड़ी/छोटी शास्ति लगाई गई है?	हाँ/नहीं
(ii)	यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें।	
(iii)	यह बताएँ कि क्या आज की तारीख तक कोई जुर्माना लागू है।	
(ग)	क्या अधिकारी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवर्ग मंजूरी दी गई है?	हाँ/नहीं
(घ)	क्या सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी किया गया है?	हाँ/नहीं

यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी/प्रविष्टियों को अधिकारी के सेवा अभिलेखों से सत्यापित किया गया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर______________

नाम:

पदनाम

(मुहर सहित)

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची की जाँच करें।

(कृपया सही का निशान लगाएं)

1.	प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजा गया।	
2.	पिछले पांच वर्षों के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित पूर्ण और अद्यतित एसीआर/एपीएआर डोजियर। यदि पिछले पांच वर्षों के लिए कोई एपीएआर नहीं है (एनआरसी/एनआईसी के संदर्भ में), तो पिछले पांच उपलब्ध वर्षों के लिए एपीएआर प्रदान किया जाना चाहिए।	
3.	यदि किसी विशेष वर्ष या वर्ष के एक भाग (तीन महीने से अधिक) के लिए ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. नहीं लिखा गया है, तो पिछली वर्ष (वर्षों) के ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. के साथ संलग्न की जाने वाली अवधि के लिए एक नो रिपोर्ट प्रमाणपत्र (एन.आर.सी.) होगा।	
4.	सतर्कता मंजूरी प्रमाणपत्र	
5.	सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र	
6.	पिछले 10 वर्षों के दौरान बड़ी/छोटी शास्ति का विवरण	
7.	संवर्ग नियंत्रक/नियुक्ति प्राधिकारी से संवर्ग मंजूरी	

दिनांक :

अग्रेषित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)